उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-62/2019/588/92-2-2019-03जांच/2019
लखनऊ :: दिनांक:: 04 अप्रैल 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद रायबरेली में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत आमंत्रित निविदा प्रक्रिया में एन0आई0टी0 द्वारा स्वीकृत प्रारूप के अनुरूप जनप्रतिनिधियों के नाम का अंकन न किये जाने, 136 स्वीकृत कार्यो के स्थान पर 145 कार्यो की निविदायें आमंत्रित किये जाने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के के कारण श्री आर0के0 सचान, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-रायबरेली सम्प्रति सम्बद्ध मुख्यालय के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बस्ती को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-62/2019/588(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ की जांच आख्या दि0 01-03-2019 की छायाप्रति मय संलग्नक इस आशय के साथ प्रेषित कि श्री सचान के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर शासन को 03 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बस्ती।

3- श्री आर0के0 सचान, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-रायबरेली सम्प्रति सम्बद्ध मुख्यालय द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in